

# THE JHARKHAND GAZETTE

## EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 368

6 Baishakh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

-----

Notification 25<sup>th</sup> April, 2019

Notification No. - 6/2019 - State Tax(Rate)

- **S.O. No. 47 Dated 26<sup>th</sup> April, 2019 --** In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-
  - (i) a promoter who receives development rights or Floor Space Index(FSI) (including additional FSI) on or after 1<sup>st</sup> April, 2019 for construction of a project against consideration payable or paid by him, wholly or partly, in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project or in any other form including in cash;
  - (ii) a promoter, who receives long term lease of land on or after 1<sup>st</sup> April, 2019 for construction of residential apartments in a project against consideration payable or paid by him, in the form of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name),

as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on, -

- (a) the consideration paid by him in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project, for supply of development rights or FSI(including additional FSI);
- (b) the monetary consideration paid by him, for supply of development rights or FSI(including additional FSI) relatable to construction of residential apartments in project;
- (c) the upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) paid by him for long term lease of land relatable to construction of residential apartments in the project; and

(d)the supply of construction service by him against consideration in the form of development rights or FSI(including additional FSI), -

shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier.

- 2. Explanation:- For the purpose of this notification,-
- (i) The term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (ii) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);
- (iii) the term "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);
- (iv) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);.
- (v) the term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.
- (vi) the term "floor space index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.
- (vii) Tax on services covered by sub-para (i) and (ii) of paragraph 1 above is required to be paid under reverse charge basis in accordance with notification No. 13/2017- State Tax (Rate), dated 29.06.2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 43, dated 29.06.2017, as amended.
- 3. This notification shall be deemed to be effective from 1<sup>st</sup> April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019] By the order of the Governor of Jharkhand,

**Prashant Kumar**Secretary-cum-Commissioner.

\_\_\_\_\_

#### वाणिज्य-कर विभाग

-----

### अधिसूचना 25 अप्रैल, 2019

#### अधिसूचना सं0. 6/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 47 दिनांक 26 अप्रैल, 2019--.( (अ).- झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार परिषद की सिफारिश पर एतद्वारा पंजीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (i) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद नकद सिहत किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट की निर्माण सेवा के रूप में, पूर्णत:या अंशत:, उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन अचल संपत्ति परियोजना के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सिहत) प्राप्त करता है;
- (ii) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है), उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन रियल एस्टेट परियोजना में, आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्टा प्राप्त करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है, -

- (क) डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्ससिहत) की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण सेवा के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या
- (ख) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध डेवलपमेंट राइट या एफसीआई(अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स) की आपूर्ति के लिए, उनके द्वारा भ्गतान किया गया प्रतिफल; या
- (ग) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है); या
- (घ) डेवलपमेंट राइट्स या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के रूप में प्रतिफल के विरूद्ध उनके द्वारा निर्माण सेवा की आपूर्ति, -

सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा।

- 2. स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य सेः-
- (i)"अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो।

- (ii) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।
- (iii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है
- (iv) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।
- (v) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।
- (vi) उपर्युक्त पैरा 1 के उपपैरा (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का भुगतान अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर (दर), 29.06.2017, जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29.06.2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के अनुसार तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर करना होगा।
- 3. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/03/2019] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आय्क्त ।

\_\_\_\_\_